



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 40/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
गोपीराम अग्रवाल आर टी आई रिसर्च सेन्टर, बांसवाडा, बांसवाड़ा, राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 23-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्रीमती विजय वरन्दानी, सहायक शासन सचिव उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 28-12-2016 के द्वारा सबरसिवल पुल के प्रस्ताव तैयार करने हेतु जिस अधिकारी ने आदेश दिये उसके नाम व पद की सूचना एवं हाई लेवल पुल के प्रस्ताव नहीं करने के कारण की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी को वांछित सूचना अधिशाषी अभियन्ता बांसवाड़ा द्वारा पत्र दिनांक 03-04-2017 से प्रेषित की गई है। प्रथम अपील पेश करने पर प्रथम अपील को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सम्भाग उदयपुर को भेज दिया गया था। इसकी सूचना अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकी है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 07-02-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 3-4-2017 व 30-01-2018 की प्रति संलग्न की गई है।
7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त